न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 32 / 2020

1 जहांगीर खां आयु 27 साल पुत्र मुस्ताक खां
2 आसिफ खां आयु 30 साल पुत्र मुस्ताक खां
3 आयूब खां आयु 55 साल पुत्र कासम अली खां
4 जंगशेर खां आयु 50 साल पुत्र कासम अली खां
5 ईकबाल खां आयु 75 साल पुत्र फैजूल खां
6 ईकराज खां आयु 55 साल पुत्र नियाज अहमद
7 अकरम खां आयु 30 साल पुत्र जीवण खां (दौराने दावा मृतक)
8 अलादीन खां आयु 50 साल पुत्र जीवण खां
9 रियाज खां आयु 45 साल पुत्र जीवण खां
10 रियाज खां आयु 52 साल पुत्र सब्बीर खां (दौराने दावा मृतक)
11 सुलतान खां आयु 39 साल पुत्र सब्बीर खां
12 नूसरत खां आयु 35 साल पुत्र सब्बीर खां
13 रहीस खां आयु 30 साल पुत्र सब्बीर खां
14 मोहसिन खां आयु 27 साल पुत्र सब्बीर खां
15 उम्मेद खां आयु 72 साल पुत्र याकूब खां
16 अरसद खां आयु 69 साल पुत्र याकूब खां
17 साकीब खां आयु 24 साल पुत्र गुलाम अली
18 ईशाक आयु 38 साल पुत्र असगर अली खां
19 अख्तर हुसैन आयु 35 साल पुत्र असगर अली खां
20 आरीफ हुसैन आयु 32 साल पुत्र असगर अली खां
21 श्रीमती गिन्नी बानौ आयु 67 साल स्त्री असगर अली खां
22 मु. नसीम आयु 53 साल पुत्री असगर अली खां स्त्री मोह इकबाल जाति कायमखानी निवासी नूआं तहसील व जिला झुन्झुनू।
23 अकबर अली खां आयु 70 साल पुत्र महबुब अली खां
24 मकसुद अली खां आयु 65 साल पुत्र महबुब अली खां

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

25 मोहम्मद हसन खां आयु 60 साल पुत्र महबुब अली खां समस्त जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2 राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनू।
3 तार अली खां आयु 65 साल
4 मीर हुसैन खां आयु 60 साल
5 जहीर हुसैन खां आयु 57 साल
6 जाकिर खां आयु 65 साल पिसरान बसीर खां
7 अनवर खां आयु 48 साल
8 मुबारीक खां आयु 45 साल
9 गुलझार खां आयु 40 साल
10 तैयब खां आयु 38 साल पिसरान शोकत अली खा
11 रज्जा खां आयु 25 साल पुत्र मोहीदीन खां दौराने दावा फौत
12 अजीज खां आयु 45 साल
13 मजीद खां आयु 40 साल
14 हमीद खां आयु 38 साल
15 हफीज खां आयु 35 साल पिसरान युनुस खां
16 सादक खां आयु 75 साल पुत्र फैजू खां दौराने दावा नाऔलाद फौत
17 सदीक खां आयु 65 साल पुत्र याकुब अली खां
18 असमत अली खां आयु 60 साल
19 लियाकत अली खां आयु 55 साल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

20 आसक अली खां आयु 45 साल पिसरान कासम अली खां
21 इमरान खां आयु 36 साल
22 अकरम खां आयु 40 साल पिसरान सज्जाद खां
23 श्रीमती सकिया बानौ स्त्री सज्जाद खां
समस्त जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी
एक्ट विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2020
मुकदमा उनवानी सज्जाद खां वगै. बनाम राज.
राज्य सरकार वगै. दावा बाबत इस्तकरारहक व
दुरूस्ती रिकार्ड मु.नं. 63/2013(141/2006)
बअदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 10.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 63/2013(141/2006) में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांटस ने एक वाद घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड बाबत खसरा नम्बर 231, 230 वाके ग्राम क्यामसर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तनकी नम्बर 1 में वादीगण पर भार रहा कि जमीन खसरा नम्बर 231 तादादी 3.21 हैक्टेयर वाके ग्राम क्यामसर के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 17 होना साबित किया जाकर इस जमीन के राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि की किश्म चारागाह गलत अंकित किया जाना साबित किया जाना है। वादीगण की ओर से विवादित भूमि की खतौनी सम्वत 1998 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श'–1 प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से विवादित जमीन गत खसरा नम्बर 289 रकबा 12 बीघा 19 बिश्वा की खातेदारी वादीगण के बुजुर्गों के नाम से दर्ज होना स्पष्ट है। उसके बाद जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2013 से भी यह भूमि वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज होना स्पष्ट है। विशेष बात कि भूमि खसरा नम्बर 289/2 तादादी 5 बिश्वा गैर मु.चाह भूमि खसरा नम्बर 289/1 तादादी 12 बीघा 14 बिश्वा में स्थित होना प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 ने अपने जवाब दावा में स्वीकार किया है। इसके अलावा वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 289/2 गेर मु. चाह जिसका नया खसरा नम्बर 230 है को गत खसरा नम्बर 289/1 तादादी 12 बीघा 14 बिश्वा जिसके नये खसरा नम्बर 231 तादादी 3.21 हैक्टेयर डाला गया है के अन्दर दर्शाया हुआ है। यह भी स्वीकृत स्थिति है कि जब वादीगण भूमि खसरा नम्बर 230 तादादी 0.06 हैक्टेयर गैर मु.चाह के खातेदार है तो फिर खसरा नम्बर 231 तादादी 3.21 है. जिसमें खसरा नम्बर 230 समाहित है के खातेदार काश्तकार क्यों नहीं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हो सकते तथा वादीगण के कुआ (चाह) के चारों तरफ गोचर भूमि (चारागाह) किस प्रकार हो सकती है। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 की ओर से भूमि खसरा नम्बर 231 तादादी 3.21 हैक्टेयर वाके ग्राम क्यामसर को सेटलमेंट विभाग द्वारा चारागाह दर्ज कस्ना बताया गया है जबकि सेटलमेंट विभाग बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के जमीन राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं कर सकता ओर यदि सेटलमेंट विभाग द्वारा ऐसा किये जाने पर ऐसा परिवर्तित राजस्व रिकार्ड अवैध तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अवैध होता है। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 की ओर से रिकार्ड की उक्त कानून स्थिति के बारे में कोई जवाबदेही नहीं की गई तथा न कानून की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। तनकी नम्बर 2 में विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी में कभी नहीं रही, विवादित जमीन पशुओं के चराने के काम में आ रही है तथा इस भूमि के राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना नियमानुकूल नहीं है। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 की ओर से तनकी नम्बर 2 को साबित करने की दिशा में न तो किसी प्रकार की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है तथा न ही मौखिक साक्ष्य में किसी ने उपस्थित होकर अपने जवाब दावा में कथित अभिवचनों को ही साबित किया गया है व न वादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण पीडब्ल्यू 1 ईशाक व पीडब्ल्यू 2 मोहम्मद हसन खां के प्रतिपरीक्षण कर इनके साक्ष्य को खंडित किया गया है। दस्तावेजात खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 1998, जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2013 नक्शा ट्रेश खसरा नम्बर 230 व 231 आदि से विवादित जमीन खसरा नम्बर 230 तादादी 0.06 हैक्टेयर गैर मु.चाह व खसरा नम्बर 231 तादादी 3.21 हैक्टेयर वाके ग्राम क्यामसर वादीगण की खातेदारी की उक्त भूमि को जोहड़ या चारागाह दर्ज करने का क्षेत्राधिकार बन्दोबस्त विभाग को नहीं है और जिस प्रकार से बन्दोबस्त विभाग द्वारा वादीगण की खातेदारी की भूमि को बिना किसी विधिक प्रक्रिया के चारागाह आदि दर्ज किया है व **ab-initio null & Void** है जिसके किसी प्रक्रिया के अधीन ही निरस्त किया जा सकता है। विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 2 के संबंध में कानून स्थिति पर बिना विचार किये धारा 16 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अवलम्ब लेते हुये तनकी नम्बर 2 का निर्णय प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2 के पक्ष में देने में भयंकर कानूनी भूल की है। तनकी संख्या 3 में प्रतिवादी नम्बर 1, 2 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा के मियाद में नहीं होने का तथ्य प्रस्तुत किया जाना है। विचारण न्यायालय ने खातेदारी की घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड के लिये किये जाने वाले दावा के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं होना मानते हुये भी यह स्पष्ट नहीं किया कि इस तनकी नम्बर 3 का निष्कर्ष किसके पक्ष में या खिलाफ किया गया है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2006(2) राज. पेज 1127, डब्ल्यूएलसी 2003(2) राज. पेज 519 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2005 में फसल काश्त होना दर्ज नहीं है तथा जमाबन्दी सम्वत 2009 से 2012 में भी फसल काश्त नहीं है। जमाबन्दी सम्वत 2013–14 में बजड़ फसल काश्त नहीं होकर पड़त (अव्वल) है। जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2018 बजड़ पड़त (अव्वल) दर्ज रिकार्ड है। इससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 17 के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि नहीं रही है और ना ही वादीगण अपना वादपत्र कायमी तनकी के अनुसार साबित कर पाये है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में वाद अपीलांट का था। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2005 में फसल काश्त होना दर्ज नहीं है तथा जमाबन्दी सम्वत 2009 से 2012 में भी फसल काश्त नहीं है। जमाबन्दी सम्वत 2013–14 में बजड़ फसल काश्त नहीं होकर पड़त (अव्वल) है। जमाबन्दी सम्वत 2015 से 2018 बजड़ पड़त (अव्वल) दर्ज रिकार्ड है। इससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 17 के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि नहीं रही है और ना ही वादीगण अपना वादपत्र कायमी तनकी के अनुसार साबित कर पाये है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। विचारण न्यायालय में वाद अपीलांट का था। इसके उपरांत भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी भी नहीं है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर